प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 12.09.2025

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल अतुल कुमार श्रीवास्तव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 563/2025 धारा 103(1),3(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप चौहान उर्फ दीपू चौहान को 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी के भाई को सब्जी खरीदने जाते समय रास्ते में रोककर पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिससे वादी के भाई की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

संदीप चौहान उर्फ दीपू चौहान पुत्र सदानन्द चौहान निवासी बरगदवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 191/2014 धारा 147,148,149,302 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 563/2025 धारा 103(1),3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू

गिरफ्तारी की टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. हे0कां0 अजय नारायण सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. कां0 संदीप यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर